

मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक
आदर्श सेवा नियम, 2018 में संशोधन

कार्यालय आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग
संतपुड़ा भवन भोपाल
भोपाल, दिनांकअप्रैल 2018

क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा "मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

अनुसूची- 'एक' में शीर्षक सहायक प्राध्यापक, विषय/विभाग में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाये :-

अनु.क्र.	सेवा सम्मिलित पद का नाम/विषय	पदों की संख्या
07	सहायक प्राध्यापक एनेस्थेसिया	07
12	सहायक प्राध्यापक नेफ्रोलॉजी	00
27	सहायक प्राध्यापक डेन्टल सर्जरी	00

आदर्श सेवा नियम की अनुसूची 01 के शेष पदों की संख्या/प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी।

अनुसूची 'दो' में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" में शीर्षक सहायक प्राध्यापक के निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ निम्नानुसार संशोधित की जाती है, अर्थात् :-

स. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती
07	सहायक प्राध्यापक एनेस्थेसिया	07	05	02
12	सहायक प्राध्यापक नेफ्रोलॉजी	00	00	00
27	सहायक प्राध्यापक डेन्टल सर्जरी	00	00	00

"मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन आदर्श सेवा नियम 2018" की अनुसूची 02 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

24/4/18

24/4/18

24/4/18

ni/letter

23.04.18
(डॉ. श्रीमती उषा श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा